फारम सं0-563

म	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

सरस्वती देवी पति-रमेश प्रसाद वर्मा, ग्राम-पुराना शिव मंदिर, सिरसी, शंकरपुर, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-कटकमदाग, ग्राम-डामोडीह, थाना नं0-122, खाता संख्या-111, प्लॉट संख्या-302, रकवा-21.60 डी0 क्रेता इमरान कुरैशी, पिता-स्व0 इब्राहिम कुरैशी, ग्राम-कुरैशी मुहल्ला हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 224/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, कटकमदाग से की गई।

1/8/22

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता इमरान कुरैशी एवं विक्रेता सरस्वती देवी पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका के पास रकवा 17.40 डी0 भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की है। भूमि आवेदिका को केवाला से हासिल है पंजी-II के पृष्ट सं0 155/III पर सरस्वती देवी के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत है। रसीद की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता सरस्वती देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/190080 दिनांक-17.04.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/201443 दिनांक-10.04.2018 और क्रेता इमरान कुरैशी का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2021/230730 दिनांक-03.10.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2021/181516 दिनांक-09.12.2021 के आधार पर तथा अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अधिकारी, कटकमदाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, ग्राम-डामोडीह, थाना नं0-122, खाता संख्या-111, प्लॉट संख्या-302, रकवा-21.60 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.08.05 16:41:32 +05:30
Location: 192.168.100.2